रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100.— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमों का निर्धारण) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 4 में संशोधन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:

"4. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण।

(1) विनियम 3 के उप-विनियम (1), उप-विनियम (2) या उप-विनियम (3) के अंतर्गत शामिल कंपनी के संबंध में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को अनुसूची-क में दी गई कार्यपद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के निर्धारण से पूर्व बोर्ड अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिसमें हितधारकों (संबंधित कंपनी सहित) को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के निर्धारण में भाग लेने का अवसर उपलबध कराने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज शामिल होगा।

(3) हितधारकों (संबंधित कंपनी सहित) अपनी टिप्पणियां, सार्वजनिक सूचना को वेब पर डालने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर लिखित में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

(4) उप-विनियम (3) में संदर्भ अनुसार हितधारकों को टिप्पपणियां देने के लिए उपलब्ध कराई गई अवधि के समाप्त होने पर, बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों को संबंधित कंपनी को उनके प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर उत्तर देने के लिए भेजेगा। बोर्ड, यदि आवश्यक समझे तो सभी हितधारकों, जिन्होंने अपनी टिप्पणियां दी हैं और संबंधित कंपनी को भी चर्चा के लिए आमंत्रित कर सकता है। बोर्ड कंपनी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ फाइल, हितधारकों की टिप्पणियों, संबंधित कंपनी का उत्तर और चर्चा, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।"

के. राजेश्वर राव, ओएसडी(आर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/13]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को सा.का.नि. 807(अ) दिनांक 20-11-2008 द्वारा और तत्पश्चात् सा.का.नि. 986(अ) दिनांक 20-12-2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/फाइनल टैरिफ फाइलिंग दिनांक 30-05-2012, फा. सं. पीएस/सचिव/एम(सी)/2012 दिनांक 13-09-2012 तथा फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17-02-2014 को अधिसूचित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

F. No. PNGRB/M(C)/100.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff Regulations) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 4.

For regulation 4 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:-

" 4. Determination of natural gas pipeline tariff.

(1) The natural gas pipeline tariff in respect of an entity covered under sub-regulation (1), sub-regulation (2) or sub-regulation (3) of regulation 3 shall be determined as per the procedure at Schedule A.

(2) Prior to determination of the natural gas pipeline tariff, the Board shall issue a public notice on its website containing a public consultation document providing an opportunity to stakeholders (including the entity concerned) to participate in the determination of the natural gas pipeline tariff.

(3) Stakeholders (including the entity concerned) may submit their comments in writing within fifteen days from the date of webhosting of the public notice.

(4) On the expiry of the period provided for stakeholder comments as referred to in sub-regulation (3), the Board shall forward the comments received to the entity concerned for it to submit its response within fifteen days of the receipt thereof. The Board may, if required, also invite all stakeholders who have offered their comments including the entity concerned for discussions. The Board shall after considering the tariff filings by the entity, the comments of other stakeholders, the response of the entity concerned and discussions, if any, issue the tariff order.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/13]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 807(E) dated 20-11-2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 986(E) dated 20-12-2010, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing dated 30-05-2012, F. No. PS/Secy./M(C)/2012 dated 13-09-2012 and F. No. PNGRB/M (C)/48 dated 17-02-2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.